उ०प्र० भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण,

राज्य नियोजन संस्थान, (नवीन भवन),
कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पीठ–01

उपस्थिति :– श्रीमती कल्पना मिश्रा (सदस्या) **दिनांक : 15.07.2022**

शिकायत संख्या : LKO187/12/67421/2020

सुजाता कुमारी व अन्य शिकायतकर्तागण / मॉनिटरिंग कमेटी
बनाम
मेसर्स अग्रणी होम्स प्रा०लि०

<u>सुनवाई विवरण</u>

पत्रावली प्रस्तुत की गयी, पुकार करायी गयी। शिकायतकर्तागण एवं मॉनिटरिंग कमेटी के अधिवक्ता श्री अरविन्द विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं तथा विपक्षी के अधिवक्ता श्री संजय अवस्थी विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हैं। शिकायतकर्तागण के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 09.05.2022 को प्रार्थना पत्र दाखिल की गयी है जिसमें दिनांक 10.12.2021, 24.12.2021 एवं 22.01.2022 को मा० पीठ द्वारा प्लॉट विक्रय हेतु दिये गये अनुमति पर रोक लगाये जाने की याचना की गयी है। सुनवाई दौरान शिकायतकर्ता के अधिवक्ता ने मौखिक रूप से अवगत कराया कि विपक्षी द्वारा कुछ प्लॉट का विक्रय कर दिया गया है जिसकी सूचना शिकायतकर्तागण / मॉनिटरिंग कमेटी को नहीं दी गयी है। विपक्षी के अधिवक्ता का कथन है कि उनके द्वारा किसी भी प्लॉट का विक्रय नहीं किया गया है, रेरा द्वारा कुछ वाद में वसूली प्रमाण पत्र जारी की गयी है जिसका अनुपालन विपक्षी द्वारा किया जा रहा है। रेरा द्वारा वसूली प्रमाण पत्र जारी होने के कारण विपक्षी के प्लॉट पर विक्रय करने से रोक लगा दिया गया है जिसके सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय (प्रयागराज) में वाद लम्बित है।

अतः विपक्षी को यह निर्देशित किया जाता है कि यदि उनके द्वारा किसी भी प्लॉट का विक्रय किया गया है तो उसकी रजिस्ट्री की प्रति एवं अन्य दस्तावेज शिकायतकर्तागण/मॉनिटरिंग कमेटी को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराएं। दिनांक 10.12.2021, 24.12.2021 एवं 22.01.2022 को मा० पीठ द्वारा प्लॉट विक्रय के सम्बन्ध में दिये गये अनुमति पर अस्थायी रूप से दिनांक 25.07.2022 तक रोक लगायी जाती है।

अतः न्यायहित में दिनांक 25.07.2022 को सुनवाई हेतु पत्रावली सूचीबद्ध की जाती है।

Kmisra 18/7/22

(कल्पना मिश्रा)
सदस्या
उ०प्र० भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण